न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– मुकुट सिंह, (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर– 126/2022 दायर तारीखः–21.06.2022

1. जगजीवण पुत्र प्रताप
2. महेशकुमार पुत्र प्रताप
3. रामाकिशन पुत्र प्रताप
4. हरिश कुमार पुत्र प्रताप
5. रामचन्द्र पुत्र फूलचन्द

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 कन्डेरियान की ढाणी तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. बीमादेवी पत्नि रामनिवास कुमावत जाति कुमावत नि0 कन्डेरियान की ढाणी तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
3. संगीतादेवी पत्नि अशोक कुमावत जाति कुमावत नि0 कन्डेरियान की ढाणी तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
4. रेखादेवी कुमावत पत्नि रमेशचन्द्र कुमावत जाति कुमावत नि0 कन्डेरियान की ढाणी, हाल नि0 हाउस नं0103 वाहुवली कॉलोनी बासंवाडा राजस्थान।
5. रमेशचन्द्र कुमावत पुत्र नन्दाराम– फौत

   15/1– रेखादेवी पत्नि रमेश चन्द
   15/2– संदीप पुत्र रमेशचन्द
   15/3– प्रदीप पुत्र रमेशचन्द
   15/4– किरण पुत्री रमेश चन्द

   समस्त जाति कुमावत नि0 103 वाहुबली कॉलोनी बासंवाडा राजस्थान।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित– 1. श्री लक्ष्मीनारायण कलवाणियां – अधिवक्ता प्रार्थीया

2. सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक 15.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

की आराजी खाता सं0 नया 94 पुराना 75 की आराजी खसरा नम्बर 596/317 रकबा 0.0253 है0 ख0न0 600/318 रकबा 0.0632 है, ख0न0 602/315 रकबा 0.0253 है किता 3 कुल रकबा 0.1138 है0 व **खाता सं0 नया 95 पुराना 75 की** आराजी खसरा नम्बर 594/317 वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी मे अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर काबिज होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक खातेदारान अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 595/317 रकबा 0.4173 है0, खसरा नम्बर 599/318 रकबा 0.5564 है0 किता दो कुल रकबा 0.9737 वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर की आराजी है तथा अप्रार्थीगण स02ल05 आयेदिन प्रार्थीगण से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न कर झगडा फिसांद पर आमादा रहे है तथा आराजी की सीमा संबंधित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है।

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात आराजी खसरा नम्बर 596/317 रकबा 0.0253 है0 ख0न0 600/318 रकबा 0.0632 है, ख0न0 602/315 रकबा 0.0253 है किता 3 कुल रकबा 0.1138 है0 व आराजी खसरा नम्बर 594/317 वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर की सीमा का ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं01 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं01 ने हल्का पटवारी को आदेश क्रमांक भू0अ0/22/3086 दिनांक 25/5/2022 को प्रार्थीगण की आराजी का सीमा ज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 11/6/2022 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 596/317 रकबा 0.0253 है0 ख0न0 600/318 रकबा 0.0632 है, ख0न0 602/315 रकबा 0.0253 है किता 3 कुल रकबा 0.1138 है0 व आराजी खसरा नम्बर 594/317 वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई।

मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 11/6/2022 के अनुसार प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाकर उसके आधार पर तारबंदी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके और सीमा संबंधित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नही हो। इसलिए अब प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 4 एवं 5/1 लगा0 5/4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 20.12.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम कन्डेरिया की ढाणी के आराजी ख0नं0 596/317 रकबा 0.0253 हे0 ख0नं0 600/318 रकबा 0.0632 हे0, 602/315 रकबा 0.0253 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.1138 हे0 तथा खसरा नं0 594/317 रकबा 0.1770 हे0 वादीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पडौसी खसरा नम्बरान 595/317, 599/318, 597/318, 598/318, 593/317, 601/315, 316 लगवा खसरा नबंर है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.06.2022 को वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किया जा चुका है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 11.06.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 596/317 रकबा 0.0253 है0 ख0न0 600/318 रकबा 0.0632 है, ख0न0 602/315 रकबा 0.0253 है किता 3 कुल रकबा 0.1138 है0 व आराजी खसरा नम्बर 594/317 वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक आसलपुर को कमिश्नर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 आसलपुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को टंकित किया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

मुकुट सिंह
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर